

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क्र. : 1129 / 2013
संस्थित दि: 02 / 12 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

प्रमोद पिता रोशनलाल नेमा, उम्र 40 साल,
निवासी बस्तीरोड बैहर थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपी

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 03/09/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 का आरोप है कि आरोपी दिनांक 08/11/2013 को समय 12:50 बजे स्थान जयस्तम्भ चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं रिटनिंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 बैहर द्वारा जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2478ए/अनु.दण्डा./प्र-2/2013 बैहर, दिनांक 07.11.2013 द्वारा एक वाहन में कुल चार लाउड स्पीकर नहीं लगाने थे, किन्तु आपके द्वारा एक वाहन में कुल चार लाउड स्पीकर व दो साउंड बॉक्स (ध्वनि विस्तारक यंत्र) से प्रचार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं रिटनिंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 बैहर के आदेश की अनुज्ञप्ति की कंडिका 08 का उल्लंघन कर लोकसेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2013 को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यशी भगत नेताम के नामांकन रैली में यातायात व्यवस्था हेतु सहायक उपनिरीक्षक ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक आर.आर.झारिया कार्यरत थे। दोपहर 12:50 बजे प्रचार में प्रयुक्त वाहन एम.पी.50/एल.ए.0140 अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन जयस्तम्भ चौक बैहर में किया। लाउड स्पीकर वाहन में दो से अधिक पाये गये आरोपी वाहन चालक प्रमोद नेमा का ट्रक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 का उल्लंघन पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध बैहर में अपराध क्रमांक 157/13 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं. मध्यप्रदेश

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक 08/11/2013 को समय 12:50 बजे स्थान जयस्तम्भ चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 बैहर द्वारा जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2478ए/अनु.दण्डा./प्र-2/2013 बैहर, दिनांक 07.11.2013 द्वारा एक वाहन में कुल चार लाउड स्पीकर नहीं लगाने थे, किन्तु आपके द्वारा एक वाहन में कुल चार लाउड स्पीकर व दो साउंड बॉक्स (ध्वनि विस्तारक यंत्र) से प्रचार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 बैहर के आदेश की अनुज्ञप्ति की कंडिका 08 का उल्लंघन कर लोकसेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया

स्वीकार किया ।

(06) आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है । आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15, 16 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1,700 /— (एक हजार सात सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है ।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(09) प्रकरण में जप्तशुदा सुपुर्दनामा पर है । अतः उक्त सुपुर्दनामा को सुपुर्ददार के हित में उन्मोचित किया जाता है । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट